

CATEGORY – BC**(MERIT ROW WISE)**

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 214802 | 220860 | 204524 | 202336 | 212923 | 219157 | 201931 | 206949 | 205097 | 213508 |
| 216648 | 209033 | 214701 | 217514 | 205181 | 204575 | 221723 | 204633 | 215983 | 202810 |
| 208559 | 204574 | 208231 | 206645 | 217753 | 212377 | 207149 | 220671 | 201233 | 207468 |
| 212530 | 204622 | 212986 | 215827 | 202519 | 214907 | 201661 | 204005 | 207004 | 219818 |
| 218509 | 221000 | 211579 | 205180 | 219046 | 206545 | 221484 | 205324 | 215769 | 202560 |
| 208365 | 217425 | 207019 | 216687 | 207303 | 218763 | 216212 | 220484 | 201964 | 217730 |
| 209457 | 207671 | 205232 | 211631 | 214480 | 214334 | 221430 | 201961 | 203202 | 214471 |
| 217898 | 220400 | 221160 | 204749 | 213960 | 221145 | 204507 | 216795 | 205139 | 215204 |
| 215981 | 221413 | 210591 | 211967 | 208502 | 216101 | 202624 | 202921 | 215454 | 219625 |
| 208010 | 200251 | 203885 | 215835 | 205793 | 207152 | 205390 | 221861 | 205105 | |

CATEGORY – RCG**(MERIT ROW WISE)**

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 208014 | 202894 | 215111 | 209072 | 217103 | 206683 | 203457 | 215984 | 201665 | 200920 |
| 219729 | 205880 | 200176 | 200155 | 216437 | 200313 | 206467 | 211073 | 202900 | 215783 |
| 216022 | 220421 | 207532 | 206374 | | | | | | |

CATEGORY – DQ (GENERAL)**(MERIT ROW WISE)**

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 220395 | 217337 | 204190 | 201350 | 202364 | 221200 | 215910 | 218810 | 205853 | 211961 |
| 213174 | 211801 | 219035 | | | | | | | |

CATEGORY – DQ (SC)**(MERIT ROW WISE)**

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 204175 | 218924 | 215403 | 219656 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

CATEGORY – DQ (ST)**(MERIT ROW WISE)**

NIL

CATEGORY – DQ (EBC)**(MERIT ROW WISE)**

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 206738 | 220626 | 210105 | 207943 | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|

CATEGORY – DQ (BC)**(MERIT ROW WISE)**

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 207497 | 206713 | 217787 | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|

CATEGORY – DQ (RCG)**(MERIT ROW WISE)**

213647

- मेधा क्रमानुसार पद एवं नियुक्ति स्थान के लिये उम्मीदवारों द्वारा उनके आवेदन पत्र में उल्लिखित विकल्पों को यथा-संभव प्राथमिकता देते हुए औपबन्धिक नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।
- औपबन्धिक नियुक्ति पत्र के अनुसार निर्धारित पद एवं नियुक्ति स्थान पर अंतिम रूप से पदभार ग्रहण करने हेतु सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त होने के पहले प्रत्येक उम्मीदवार के मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी Identity की छान-बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। पात्रता प्राप्त एवं डाक्टरी जाँच में योग्य पाये जाने पर उम्मीदवार को औपबन्धिक नियुक्ति के अनुसार निर्धारित पद तथा पदस्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त कर पदभार ग्रहण करना है।
- औपबन्धिक नियुक्ति पत्र के अनुसार निर्धारित पद एवं नियुक्ति स्थान पर अंतिम रूप से पदभार ग्रहण करने हेतु सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के लिए, अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है अथवा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण-पत्र/ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, अथवा न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, अथवा उसकी पहचान / पात्रता स्थापित नहीं होती है, अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाया जाता है तो वैसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।
- इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। प्रत्येक कोटि की सीटों की कुल स्वीकृत संख्या से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए संभाव्य अनुपलब्धता को ध्यान में रखकर बुलाया गया है। फलस्वरूप ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके द्वारा सभी शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त मेधा-क्रम में उनसे ऊपर के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप खाली स्थान उपलब्ध रहने पर निर्भर होगा।
- उम्मीदवार को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु अंतिमरूप से अनुमति प्रदान करने के लिए अनुबन्ध पत्र तथा विवरण पुस्तिका में अंकित सभी शर्तों/ प्रावधानों को संपुष्ट करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी विवाद में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों तथा सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के पास सुरक्षित है। अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति, राज्य सरकार के परिपत्रों तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा।
- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित इस लिखित परीक्षा-2007 की मेधासूची एवं सम्बन्धित सूचनायें ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार की Website <http://www.rdd.bih.nic.in> पर भी उपलब्ध है।
- प्रेस में मुद्रण अथवा टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे।

राम ब्रह्म चौधरी
संयुक्त विकास आयुक्त